FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा

. श्री रतन पिता मेगा भील निवासी काबरों का ब्रेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा	बनाम	1.. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब भीलवाड़ा
–प्रार्थी		–विपक्षी

विध–स्थगन प्रार्थना पत्र **प्रकरण संख्या 68 /2017**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

11-10-2017 – प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित नायब तहसीलदार कारोई के पत्र – दिनांक 11-10-2017 से इस न्यायालय के आदेश दि 15-9-2017 की पालना में अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का गुरला एवं भू-अभिलेख नि० की रिपोर्ट दि० 11-10-2017 के अनुसार ग्राम गुरला की आ०न० 1373 रकबा 0.05 बीघा में श्री रतन पिता मेगा भील ने IAY योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकान को ध्वस्त कर कब्जा हटा दिया है। इस सम्बन्ध में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि आदेशानुसार कब्जा हटाकर पूर्ण पालना की जाने से सिविल जेल की सजा माफ फरमाई जावे।

रतन

हमने वकील प्रार्थी को सुना व उप
तहसीलदार कारोई से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन
किया गया। प्रार्थी ने भौतिक रूप से मौके
से कब्जा हटा कर न्यायालय आदेश दिनांक
15/9/2017 की पालना पूर्ण किए जाने
से प्रार्थी की सिविल जेल की सजा स्थगित
की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश
की प्रति उप तहसीलदार कारोई को
भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार
होकर रिकार्ड से कम हो।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा